न्यायालय अतिरिक्त जिला कलक्टर नोहर, जिला हनुमानगढ़(राज.)

पीठासीन अधिकारी– गोपाल लाल स्वर्णकार आर.ए.एस.

अपील अन्तर्गत धारा 75 भू–राजस्व अधिनियम 1956

प्रकरण संख्या– 10/2019

1. मोहनलाल पुत्र श्री रामदयाल जाति रेगर निवासी अजीतपुरा तहसील भादरा जिला हनुमानगढ़।

–अपीलान्ट

बनाम

1. राजस्थान राज्य जरिये तहसीलदार भादरा जिला हनुमानगढ़ (राज.)।

–रेस्पोडेन्ट

उपस्थित– श्री कुलदीप सिंह खुड़िया अधिवक्ता अपीलांट।

निर्णय दिनांक:– 19/02/2024

अपीलांट मोहनलाल पुत्र श्री रामदयाल जाति रेगर निवासी अजीतपुरा तहसील भादरा जिला हनुमानगढ़ द्वारा आदेश दिनांक 27.05.2016 न्यायालय तहसीलदार भू–अभिलेख तहसील भादरा हनुमानगढ के द्वारा भूमि रूपान्तरण का इन्तकाल बिना किसी कारण के अस्वीकृत किया गया। बमुराद मन्सुखी उक्त आदेश दिनांक 27.05.2016 को स्वीकार करवाने बाबत अपील प्रस्तुत की है जिसके संक्षेप में तथ्य इस प्रकार है–

1. अपीलान्ट की ग्राम अजीतपुरा, पटवार हल्का अजीतपुरा तहसील भादरा के खाता सं0 710/719 के खसरा नं0 933/2 की 0.4050 हैक्टेयर कृषि भूमि है, जिसमें से अपीलान्ट ने 0.250 हैक्टेयर (250 वर्गमीटर) कृषि भूमि को आवासीय में रूपान्तरण करवाने के लिए दिनांक 01.01.2016 को प्रार्थना पत्र तहसीलदार (राजस्व) भादरा के समक्ष के प्रस्तुत किया था, जिसमें तहसीलदार भादरा ने दिनांक 04 02.2016 को चालान नं0 964 राशि 12,500/– रूपये जमा करवाकर दिनांक 10.2.2016 को भूमि रूपान्तरण का आदेश जारी किया। उक्त आदेश की पालना के लिए प्रार्थी/अपीलान्ट ने पटवार हल्का को इन्तकाल दर्ज करने के लिए दिया। पटवार हल्का ने इन्तकाल दर्ज कर भू–अभिलेख निरक्षक अजीतपुरा के समक्ष प्रस्तुत किया जिन्होनें दिनांक 19.05. 2016 को इन्तकाल को सही मानकर अंकन किया कि मिलान किया मुताबिक आदेश के नवीन अंकन सही है उसके बाद तहसीलदार भू–अभिलेख तहसील भादरा ने भूमि रूपान्तरण का इन्तकाल सं0 [illegible] दिनांक 27.05.2016 को बिना किसी कारण अंकन किये अस्वीकृत कर दिया जो कि प्राकृतिक न्याय के सिद्धान्तों, रिकार्ड, विधि एवं तथ्यों के विरूद्ध होने के कारण निम्न आधारों पर निरस्त होने योग्य है–

अतिरिक्त जिला कलक्टर
नोहर (हनुमानगढ़)

Signature Not Verified
Digitally signed by Gopal Lal Swarnkar
Date: 2024.06.03 15:53:07 IST
Reason: SelfAttested

(क) अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित आदेश दिनांक 27.05.2016 कतई गलत एवं विधिविरूद्ध रूप से व अपीलान्ट को बिना सुने एकपक्षीय तौर पर पारित किया गया है, जो अपास्त होने योग्य है।

(ख) यह कि कि अपीलाधीन आदेश पारित करने से पूर्व अपीलान्ट को कोई नोटिस/सूचना सम्प्रेषित नहीं की व ना ही अपीलान्ट को नोटिस अथवा सूचना विधिवत् रूप से प्राप्त हुई। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित आदेश दिनांक 27.05.2016 मनमाना व एकतरफा व विधि एवं रिकार्ड के विरूद्ध है। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा अपीलान्ट को सुने बिना अपीलाधीन आदेश पारित किया है जो प्राकृतिक न्याय के सिद्धान्तों के विपरीत होने से काबिल खारिजी है।

(ग) यह कि अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित आदेश दिनांक 27.05.2016 में अपीलान्ट को दिनांक 12.03.2019 को हुई जिसके बाद अपीलान्ट ने इन्तकाल खारिजी आदेश की नकल प्राप्त करने बाबत प्रार्थना पत्र पेश किया, जो नकलें अपीलान्ट को अपने अधिवक्ता से आज प्राप्त हुई है।

(घ) यह कि अधिनस्थ न्यायालय ने इन्तकाल अस्वीकृत करने का कोई कारण अंकन नहीं किया है इसलिए अधिनस्थ न्यायालय का आदेश प्राकृतिक न्याय के सिद्धान्तों, रिकार्ड, विधि एवं तथ्यों के विरूद्ध होने के कारण अपास्त किये जाने योग्य है।

अतः अपील प्रस्तुत कर निवेदन है कि अपीलान्ट की अपील स्वीकार फरमाई जाकर अधीनस्थ न्यायालय के आदेश दिनांक 27.05.2016 अपास्त फरमाया जावे।

अपील प्रस्तुत होनें पर दर्ज रजिस्टर की गई। रेस्पोडेन्ट को जरिये नोटिस तलब किया गया। अधिवक्ता अपीलांट की एकपक्षीय बहस सुनी गई। पत्रावली का अवलोकन किया गया एंव अधिवक्ता अपीलांट की बहस पर मनन किया गया। पत्रावली का अवलोकन करनें पर पाया कि अधीनस्थ न्यायालय द्वारा निर्णय पारित करते समय भूल की है। अतः अपील अपीलांट स्वीकार योग्य होनें से स्वीकार की जाकर पत्रावली रिमाण्ड की जाती है एंव तहसीलदार(राजस्व) भादरा को निर्देशित किया जाता है कि संबधित पक्षकारों को सुना जाकर नियमानुसर प्रकरण का निस्तारण करें। अधीनस्थ न्यायालय की तलबशुदा पत्रावली निर्णय की प्रमाणित प्रतिलिपि संलग्न कर लौटाई

निर्णय मेरे द्वारा लिखा जाकर आज दिनांक 19.4.24 को सरेइजलास सुनाया गया।

Signature Not Verified
Digitally signed by Gopal Lal Swarnkar
Date: 2024.06.03 15:53:07 IST
Reason: SelfAttested

(गोपाल लाल स्वर्णकार आर.ए.एस.)
अतिरिक्त जिला कलक्टर
नोहर

अतिरिक्त जिला कलक्टर
नोहर (हनुमानगढ़)